संख्या-227/2015/1689/नौ-8-2015-96 ज/2015

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-8 **लखनऊः दिनांक : 20 नवम्बर, 2015**

विषय-प्रदेश के नागर निकायों में मार्ग प्रकाश व्यवस्था के अन्तर्गत लगाई जाने वाली एल0 ई0 डी0 लाइटों / ल्यूमिनेयर की गुणवत्ता एवं मानकों के सम्बन्ध में दिशा निर्देश।

महोदय,

प्रदेश में बढ़ रही विद्युत की मांग के सापेक्ष वर्तमान में विद्युत की कम उपलब्धता के परिप्रेक्ष्य में नागर निकायों में मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु उपयोग में लायी जा रही सोडियम प्रकाश व्यवस्था/ अन्य सादृश्य प्रकाश व्यवस्था को नवीन तकनीक के अनुरूप परिवर्तित किया जाय। इस दिशा में प्रदेश की नागर निकायों में एल0ई0डी0 लाइटें/ल्यूमिनेयर लगाये जाने की व्यवस्था एक कारगर विकल्प हो सकता है। निकायों में मार्ग प्रकाश व्यवस्था व अन्य प्रकाश व्यवस्था में खराब होने वाली लाइटों के स्थान पर एल0ई0डी0 लाइटें/ल्यूमिनेयर का अधिक से अधिक अधिष्ठापन किये जाने से जहाँ कम विद्युत खपत में अत्यधिक क्षमता की एल0ई0डी0 लाइटों/

http://shasanadesh.up.nic.in

ल्यूमिनेयर का प्रयोग किये जाने से विद्युत की बचत होगी, वहीं इससे नागर निकायों में विद्युत आपूर्ति के सापेक्ष विद्युत की बचत होगी, वहीं इससे नागर निकायों में विद्युत आपूर्ति के सापेक्ष विद्युत बिलों में आवश्यक कमी लायी जा सकेगी। इससे निकायों के विद्युत बिलों में होने वाली कमी की धनराशि से निकाय क्षेत्र में अन्य आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं को विकसित किया जा सकेगा।

2- वर्तमान समय में अनेक कम्पनियां एल0ई0डी0 लाइटों/ ल्यूमिनेयर का विनिर्माण व वितरण कर रहीं हैं। एल0ई0डी0 लाइट/ल्यूमिनेयर नई-नई तकनीकों के साथ उच्च गुणवत्ता एवं मानकों के आधार पर बाजार में उपलब्ध हैं। इसके बावजूद इन एल0ई0डी0 लाइटस/ल्यूमिनेयर की विशिष्टियों तथा उपभोक्ता को दी जा रही वारण्टी/गारण्टी में कोई एकरूपता नहीं है। ऐसी स्थितियों में यह आवश्यक है कि नागर निकायों द्वारा भविष्य में मार्ग प्रकाश व्यवस्था के अन्तर्गत क्रय की जाने वाली एल0ई0डी0 लाइटें/ल्यूमिनेयर एवं एल0ई0डी0 हाईमास्क लाइटें, उच्च विशिष्टियों, वाटरप्रूफ तथा भारत सरकार के भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा गुणवत्ता निर्धारण हेतु आई0एस0आई0 माड्यूल तथा LM-79, IP-67 पर होना चाहिए तथा इन लाइटों एवं उससे सम्बन्धित अन्य उपकरणों के लिए आपूर्ति करने वाली उन कम्पनियों/फर्मों/ संस्थाओं/सहकारी समितियों, जो निकाय को इन विशिष्टियों के अनुरूप उच्च गुणवत्ता के साथ-साथ एल0ई0डी0 लाइटों/ ल्यूमिनेयर/हाई मास्क् लाइटों की आपूर्ति हेतु बाजार दर से कम मूल्यों पर, कम से कम 05 वर्ष की रिप्लेसमेन्ट की गारण्टी/ वारण्टी उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुबन्ध करें, उनही फर्मों/ संस्थाओं/कम्पनियों/सहकारी समितियों से एल0ई0डी0 लाइटें/ ल्यूमिनेयर/एल0ई0डी0 हाईमास्क लाइटें क्रय की जाय।

3- अत: उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के नागर स्थानीय निकायों में मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु क्रय की जाने वाली

http://shasanadesh.up.nic.in

एल0ई0डी0 लाइटों/एल0ई0डी0 हाईमास्क लाइटों के सम्बन्ध में उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

संख्या-227/2015/1689(1) /नौ-8-2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3- निदेशक, नगरीय रोजगार गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग उत्तर प्रदेश।
4- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम लखनऊ।
5- निदेशक, सी0 एण्ड डी0एस0 उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6- समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
7- समस्त अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।
8- नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग।
9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in